

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/149
सदस्य सचिका सं. CICOM/A/2019/00131
CICOM/R/2019/00467

दिनांक: 18.07.2019

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम - शोकहारा -2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पो0 - बरौनी, जिला - बेगूसराय,
बिहार - 851112.

निर्णय की तारीख: 18.07.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	06.06.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	03.07.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. असीजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	08.07.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	221/15.07.2019 (14691/12.07.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.06.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से अपीलकर्ता द्वारा 3 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी। अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि निर्धारित समयावधि समाप्त हो जानेके बावजूद उन्हें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.06.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के अंदर ही दिनांक 03.07.2019 को प्रेषित की जा चुकी है। श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. प्रस्तुत सदस्य में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से सतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

(आर. के. सिंह)

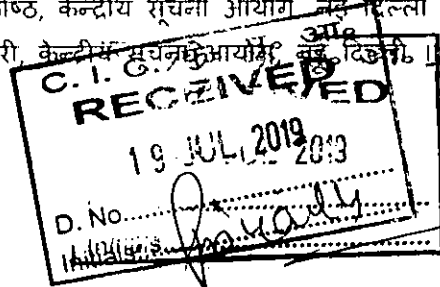
अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
श्री ए. के. असीजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।



19/7/19